

# भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर अध्ययन

Abhishek Singh Chouhan<sup>1</sup>, Dr. Lalit Mohan Choudhary<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Research Scholar, Department of Sociology, Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Sehore, M.P.

<sup>2</sup> Research Guide, Department of Sociology, Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Sehore, M.P.

**DECLARATION:** I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. . IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL.

## सारांश

भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और इसकी समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। आज महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत से उनकी स्थिति धीरे-धीरे और धीरे-धीरे बदल गई है। अध्ययन में पाया गया कि भारत में महिलाएं अपेक्षाकृत अविकसित हैं और सरकार के कई प्रयासों के बावजूद, पुरुषों से कुछ हद तक हीन हैं। शिक्षा और रोजगार तक पहुंच के संबंध में लिंग अंतर मौजूद है। घर पर निर्णय लेने की शक्ति और महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता उनकी उम्र, शिक्षा और रोजगार की स्थिति में बहुत भिन्न होती है। यह पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान यौन मानदंडों की स्वीकृति अभी भी समाज में प्रचलित है। शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा का अनुभव होने की अधिक संभावना है। राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक अंतर भी बहुत बड़ा है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि शिक्षा और रोजगार तक पहुंच ही एकमात्र सक्षम कारक हैं, हालांकि लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान काफी हद तक लैंगिक समानता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

**मुख्यशब्द:** महिलाएं, सशक्तिकरण, मुद्दे, चुनौतियां, महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

## प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति और लिंग भेदभाव के दुष्प्रभावों से मुक्ति है। इसका अर्थ है महिलाओं को जीवन के चुनाव करने की स्वतंत्रता देना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ 'महिलाओं का सशक्तिकरण' नहीं है, बल्कि पुरुषत्व की जगह समानता है। इस संबंध में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलू हैं, जैसे

**मानव अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार:-** एक महिला का अस्तित्व इंद्रियों, कल्पना और विचारों के साथ होता है; वह उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्तिगत सशक्तिकरण का अर्थ है बोलने में विश्वास होना और बातचीत करने का निर्णय लेने की शक्ति का दावा करना

**सामाजिक महिला अधिकारिता:-** महिला सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। लैंगिक समानता एक ऐसे समाज को संदर्भित करती है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, परिणाम, अधिकार और दायित्वों का आनंद मिलता है।

**शैक्षिक महिला सशक्तिकरण:-** इसका अर्थ है विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन पर दावा करने का आत्मविश्वास विकसित करना।

**आर्थिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण:-** इसका तात्पर्य महिलाओं के स्वामित्व और प्रबंधन वाली स्थायी आजीविका के माध्यम से भौतिक जीवन की बेहतर गुणवत्ता से है। इसका मतलब है

कि उन्हें मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर अपने पुरुष समकक्षों पर उनकी वित्तीय निर्भरता को कम करना।

**कानूनी महिला अधिकारिता:-** इसमें महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने वाला एक प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि कानून क्या सुझाता है और वास्तव में क्या होता है, के बीच की खाई को पाटना।

**राजनीतिक महिला अधिकारिता:-** इसका अर्थ राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन में महिलाओं की भागीदारी और नियंत्रण के पक्ष में एक राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व है। महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों का प्रचार एक वैश्विक आंदोलन के हिस्से के रूप में उभरा है जो हाल के वर्षों में नई जमीन को तोड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला अधिकारिता दिवस जैसे दिन भी जोर पकड़ रहे हैं। परिवारों, समुदायों और देशों के स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। जब महिलाएं एक सुरक्षित, संपूर्ण और उत्पादक जीवन जीती हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती हैं। कर्मचारियों को अपने कौशल का योगदान दें और खुश और स्वस्थ बच्चों का पालन-पोषण करें। वे एक स्थायी अर्थव्यवस्था और काफी हद तक समाज और मानवता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। लेकिन बहुत प्रगति के बावजूद, दुनिया के हर हिस्से में महिलाओं और लड़कियों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है

### **महिला के विरुद्ध क्रूरता**

भारत में: भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं के खिलाफ शारीरिक या यौन हिंसा है, खासकर पुरुषों द्वारा। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में घरेलू हिंसा, यौन हमला और हत्या शामिल हैं। यह अधिनियम विशुद्ध रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर

विचार करने के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि पीड़ित एक महिला है। लैंगिक असमानता की भूमिका वाले पुरुष अक्सर ये कृत्य करते हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और हर तीन मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध किया जाता है।

**हत्याएं:-** दहेज हत्या एक विवाहित महिला की दहेज विवाद के कारण हत्या या आत्महत्या है। कुछ मामलों में पति और ससुर लगातार प्रताड़ित और प्रताड़ित करके अधिक दहेज लेने की कोशिश करते हैं, कभी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है या परिवार में बेटी की शादी में उपहार, धन या संपत्ति का आदान-प्रदान होगा। इनमें से ज्यादातर आत्महत्याएं फांसी, जहर या आत्मदाह करके की गई हैं। अगर दहेज मारा जाता है तो महिला को आग लगा दी जाती है, इसे दुल्हन को जलाना कहा जाता है। दुल्हन की हत्या को अक्सर आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है, कभी-कभी महिला को इस तरह से आग लगा दी जाती है कि ऐसा लगता है जैसे उसने खाना बनाते समय मिट्टी के चूल्हे में आग लगा दी हो। दहेज भारत में अवैध है, लेकिन दुल्हन के परिवार द्वारा आयोजित शादियों में दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को महंगे उपहार देना अभी भी आम है। ऑनर किलिंग एक परिवार के सदस्य की हत्या है, जो परिवार के लिए अपमान और शर्म की बात है। ऑनर किलिंग में नियोजित विवाह में प्रवेश करने से इनकार करना, व्यभिचार करना, परिवार से एक अस्वीकृत साथी का चयन करना और बलात्कार का शिकार होना शामिल है। भारत के कुछ गांवों में, जाति परिषदें उन लोगों को नियमित रूप से निष्पादित करती हैं जो अपनी जाति या जनजाति के नियमों का पालन नहीं करते हैं। भारत में जादू टोना के आरोपित महिलाओं की हत्या आज भी जारी है। इस प्रकार की हत्या का सबसे अधिक खतरा गरीब महिलाओं, विधवाओं और निचली जाति की महिलाओं को होता है। यौन भ्रूण

हत्या एक नवजात बच्चे की चयनात्मक हत्या या एक लिंग-चयनात्मक गर्भपात द्वारा एक महिला भ्रूण की समाप्ति है। भारत में वृद्धावस्था में परिवार की रक्षा करना और मृत माता-पिता और पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने में सक्षम होने से उन्हें बच्चे पैदा करने की प्रेरणा मिली। दूसरी ओर, लड़कियों को एक सामाजिक और आर्थिक बोझ माना जाता है। दहेज प्रतिबंध इसका उदाहरण है। दहेज न देने और सामाजिक बहिष्कार के डर से गरीब परिवारों में कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने बच्चे के लिंग का निर्धारण किया है, यह देखते हुए कि बच्चा अभी भी गर्भवती है। एक बार जब यह आधुनिक प्रसवपूर्व निदान तकनीक भ्रूण के लिंग को निर्धारित कर लेती है, तो परिवार यह निर्धारित करने में सक्षम होते हैं कि क्या वे लिंग के आधार पर गर्भपात कराना चाहते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 8,000 में से 7,997 गर्भपात कन्या भ्रूण पर किए गए। चिकित्सा पेशेवरों द्वारा भ्रूण लिंग निर्धारण और प्रसव पूर्व गर्भपात अब 1000 करोड़ रुपये का उद्योग है।

**यौन अपराध:-** महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। बलात्कार भारत में सबसे आम अपराधों में से एक है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में, बलात्कार को एक पुरुष या एक महिला की सहमति के बिना एक महिला की शारीरिक सुंदरता में एक पुरुष की घुसपैठ और दंडित नहीं होने के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। वैवाहिक बलात्कार भारत में एक आपराधिक अपराध नहीं है। भारत उन पचास देशों में से एक है, जिन्होंने अभी तक वैवाहिक बलात्कार पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। 20% भारतीय पुरुष अपनी पत्नियों या भागीदारों को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना स्वीकार करते हैं। भारत में मानव तस्करी, हालांकि भारतीय कानून के तहत अवैध है, एक

बड़ी समस्या है। वाणिज्यिक यौन शोषण और जबरन/गुलाम श्रम के उद्देश्य से लोगों को अक्सर भारत के माध्यम से तस्करी कर लाया जाता है।

**घरेलू हिंसा:-** घरेलू हिंसा तब होती है जब एक साथी अंतरंग संबंधों जैसे डेटिंग, विवाह, अंतरंगता या पारिवारिक संबंधों में दूसरे को गाली देता है। घरेलू हिंसा को घरेलू हिंसा, वैवाहिक दुर्व्यवहार, मारपीट, घरेलू हिंसा, डेटिंग दुर्व्यवहार और अंतरंग साथी हिंसा के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, वित्तीय और यौन शोषण हो सकती है। घरेलू हिंसा सूक्ष्म, जबरदस्ती या हिंसक हो सकती है। राजनेता रेणुका चौधरी के अनुसार, भारत में 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

**जबरन और बाल विवाह:** - कम उम्र में शादी के लिए मजबूर होने वाली लड़कियों को दोहरे जोखिम का सामना करना पड़ता है: एक बच्चा और एक महिला। लड़के और लड़कियां अक्सर शादी के मायने और जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। ऐसी शादियों के कारण लड़कियां अपने माता-पिता के बोझ तले दब जाती हैं और शादी से पहले अपनी पवित्रता खोने से डरती हैं।

**तेजाब फेंकना:-** तेजाब फेंकना, जिसे एसिड अटैक, विट्रियल अटैक या विट्रियलेज के नाम से भी जाना जाता है, भारत में महिलाओं पर हिंसक हमले का एक रूप है। तेजाब फेंकने का अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर पर "अम्ल बीज या वैकल्पिक संक्षारक पदार्थ" को विकृत करने, अपंग करने, यातना देने या मारने के उद्देश्य से फेंकना। आईडी साइड अटैक आमतौर पर पीड़ित के चेहरे पर निर्देशित होते हैं जिससे त्वचा को नुकसान होता है और अक्सर हड्डी खुल जाती है या टूट जाती है। तेजाब के हमले से स्थायी जखम, अंधापन के साथ-साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक

और आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। भारतीय विधायिका ने एसिड बीजों की बिक्री को नियंत्रित किया है। भारत में महिलाओं को दुनिया भर की महिलाओं की तुलना में एसिड अटैक का खतरा अधिक होता है। भारत में रिपोर्ट किए गए एसिड हमलों में से कम से कम 72 फीसदी महिलाएं शामिल हैं। भारत में पिछले एक दशक से तेजाब हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं।

### **महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता:**

यह महिलाओं के स्वाभिमान के लिए और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। महिलाओं को सशक्त बनाना महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाओं को शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार हो सकता है। महिलाएं समाज में शामिल हो सकती हैं क्योंकि वे अपनी धार्मिक, भाषा, काम और अन्य गतिविधियों को चुनकर खुश हैं। महिला सशक्तिकरण इन दिनों भारत में विकास का सबसे प्रभावी साधन है; दुनिया भर में महिलाएं सक्रिय रूप से एक नेता के रूप में काम कर रही हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में दूसरों से आगे निकल रही हैं। चूंकि पूरी दुनिया अपनी सांस रोक रही है और हर दिन COVID-19 महामारी से अविश्वसनीय रूप से बचने के लिए प्रार्थना कर रही है, यह महिला राज्यपाल और राष्ट्र हैं जो इन अद्भुत व्यक्तित्वों द्वारा संचालित हैं जो जिम्मेदारी ले रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण काफी हद तक भौगोलिक सेटिंग, सामाजिक स्थिति, और शैक्षिक स्थिति और आयु कारकों सहित कई अलग-अलग चर पर निर्भर है। महिला सशक्तिकरण पर कार्रवाई राज्य, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। हालांकि, महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता, और राजनीतिक भागीदारी जैसे अधिकांश क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यह दर्शाता है कि सामुदायिक स्तर पर राजनीति की प्रगति और वास्तविक अभ्यास के बीच पर्याप्त अंतर है।

## महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ:

भारत में महिला अधिकारों के मुद्दों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। इन मुद्दों को लक्षित करने से भारत में महिला सशक्तिकरण को सीधा लाभ होगा।

**शिक्षा :-** देश ने आजादी के बाद से एक छलांग लगाई है और शिक्षा को लेकर चिंतित है। महिलाओं और पुरुषों के बीच की खाई चौड़ी है। 82.14% वयस्क पुरुष सुशिक्षित हैं, जबकि भारत में केवल 65.46% वयस्क महिलाओं को साक्षर माना जाता है। उच्च शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह है; विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण जो महिलाओं को रोजगार में दृढ़ता से प्रभावित करता है और किसी भी क्षेत्र में शीर्ष नेतृत्व प्राप्त करता है।

**गरीबी:-** गरीबी को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और गरीबी उन्मूलन उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए जितना कि निरक्षरता का उन्मूलन। इससे घरेलू सहायिकाओं के रूप में महिलाओं का शोषण होता है।

**स्वास्थ्य और सुरक्षा:-** महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे देश के हित में सर्वोपरि हैं और देश में महिला सशक्तिकरण के आकलन में महत्वपूर्ण कारक हैं। हालाँकि, जहाँ माताओं का संबंध है वहाँ चिंताजनक चिंताएँ हैं। व्यावसायिक असमानता :- यह असमानता रोजगार और पदोन्नति में प्रचलित है। सरकारी कार्यालयों और निजी उद्योगों में, पुरुषों के वर्चस्व वाले और वर्चस्व वाले वातावरण में महिलाओं को असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**घरेलू असमानता:-** दुनिया भर में पारिवारिक रिश्ते, विशेष रूप से भारत में, बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से लिंग भेद दिखा रहे हैं। तथाकथित श्रम विभाजन से होमवर्क, चाइल्डकैअर और तुच्छ कार्यभार साझा करना। बेरोजगारी:- महिलाओं के लिए अपने लिए सही नौकरी ढूँढना



कठिन होता जा रहा है। वे कार्यस्थल में शोषण और उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

**असहनीय स्थितियां:-** अशिक्षित महिलाओं के जीवन के किसी भी पड़ाव पर तलाक और अपने पति को छोड़ने की संभावना अधिक होती है। तलाक के डर से उन्हें पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। कुछ मामलों में उन्हें असहनीय परिस्थितियों के कारण अपना जीवन समाप्त करना पड़ता है।

### निष्कर्ष

जब महिलाएं परिवार का नेतृत्व करती हैं, तो गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। यह आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और उनकी मूल्य प्रणाली एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र का विकास करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। महिला सशक्तिकरण तभी वास्तविक और प्रभावी होगा जब उनके पास आय और धन होगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल सरकारी पहल ही पर्याप्त नहीं है। लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज को ऐसा माहौल बनाने के लिए पहल करनी चाहिए और महिलाओं को समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने के लिए आत्मनिर्णय का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डफ्लो, ई। (2012)। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 50(4), 1051-79.

2. मेहरा, आर. (1997)। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। द एनल्स ऑफ़ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, 554(1), 136-149.
3. वर्गीस, टी. (2011)। ओमान में महिला सशक्तिकरण: महिला अधिकारिता सूचकांक पर आधारित एक अध्ययन। मनोविज्ञान और व्यापार के सुदूर पूर्व जर्नल, 2(2), 37-53।
4. मंडल, के.सी. (2013, मई)। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा और प्रकार। इंटरनेशनल फोरम ऑफ़ टीचिंग एंड स्टडीज में (वॉल्यूम 9, नंबर 2)।
5. हजारिका, डी. (2011)। भारत में महिला सशक्तिकरण: एक संक्षिप्त चर्चा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1 (3), 199-202।
6. नायक, पी., और महंत, बी. (2009)। भारत में महिला सशक्तिकरण।
7. सुंदरम, एम.एस., शेखर, एम., और सुब्बुराज, ए. (2014)। महिला सशक्तिकरण: शिक्षा की भूमिका। प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2(12), 76-85।
8. टंडन, टी। (2016)। महिला सशक्तिकरण: दृष्टिकोण और विचार। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी, 3(3), 6-12।
9. शर्मा, पीआर (2007)। सूक्ष्म वित्त और महिला सशक्तिकरण। नेपाली बिजनेस स्टडीज के जर्नल, 4(1), 16-27.

10. मोक्ता, एम। (2014)। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 60(3), 473-488।
11. चंद्रा, आर. (2007, दिसंबर)। भारत में महिला सशक्तिकरण - मील के पत्थर और चुनौतियाँ। पैक्स कार्यक्रम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "गरीबी उन्मूलन के लिए क्या आवश्यक है" पर राष्ट्रीय सम्मेलन में।
12. वाघमोडे, आर.एच., और कल्याण, जे.एल. (2014)। भारत में महिला सशक्तिकरण। एक खोज। साहित्य की समीक्षा, 1(7)।
13. पचोरकर, एस., कवीश्वर, एस., और शारदा, पी. (2020)। भारत में महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण: ज्वाला महिला समिति का एक केस स्टडी। प्रेस्ट। इंट. जे मनगा। रेस, 12, 254-264।
14. गुप्ता, एम। (2021)। महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका: उत्तराखंड, भारत से केस स्टडीज। जर्नल ऑफ एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज: पीपल एंड प्लेसेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
15. बनर्जी, एम। (2020)। कोविड -19 के दौरान भारत में ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण: भविष्य की स्थिरता पर विचार करते हुए एक संक्षिप्त अध्ययन। जर्नल ऑफ स्टडीज इन सोशल साइंसेज, 19.